FIVE RUPEES TEN RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक: /2001 निगरानी — 1811-PBR/2001

प्रकाशचन्द्र वैश्य पुत्र कुढेरीराम,
निवासी राजा की मुढेरी, परगना व जिला-
शिवपुरी-म0प्र0 ।

------ आवेदक

बनाम

(1) मध्यप्रदेश शासन,
(2) काशीबाई पुत्री राजा की मुढेरी,
परगना व जिला- शिवपुरी- म0प्र0 ।

-----अनावेदकगण

निगरानी विरुध्द आज्ञा श्री के0आर0 मांगीदिया, अपर आयुक्त महोदय, संभाग ग्वालियर, तारीखी-06/8/2001, प्रकरण क्रमांक-1571/97-98 अपील, वउन्वान प्रकाशचन्द बनाम शासन आदि, । अन्तर्गत धारा 50-भू-राजस्व संहिता ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

1- यहकि, निर्णय अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं विधान के विपरीत तथा फाईन्डिंगस परव्हर्स होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश, आदेश की परिभाषा में नहीं आता है व स्पीकिंग आदेश नहीं है । साक्ष्य व आवेदक की आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया गया है, हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है ।

3- यह कि, आवेदक ने जर्ये रजिस्टर्ड बिक्री-पत्र दिनांक 0

क्रमशः-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1811–एक/2001 जिला –शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
9-6-2016	यह निगरानी आवेदक के अधिवक्ता श्री ए0के0 अग्रवाल द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्र0क्र0 1571/97–98/अपील में पारित आदेश दिनांक 06.08.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा है कि खुमान सिंह मुख्त्यारआम मृतक भूमि स्वामी लोहरे से रुपये 48500/– में क्रय की है । आवेदक ने अपने तर्क में यह भी कहा है कि मुख्यतारनामें में भूमि को विक्रय करने का अधिकार दिया गया है । नायब तहसीलदार शिवपुरी ने विक्रय पत्र के आधार पर पूरी जांच करने के पश्चात ही पंजी क्र0 5 में दिनांक 08.08.1995 को आवेदक की प्रविष्टि की गई थी । जिसको तहसीलदार शिवपुरी ने दिनांक 05.07.1997 को बिना जांच किये एवं बिना सूचना दिये आदेश दिनांक 08.08.1995 को निरस्त कर दिया गया है । उन्होंने अपने तर्क में कहा है कि अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी ने दो वर्ष पश्चात प्रकरण को रिव्यु में लिया जाकर एक तरफा आदेश पारित किया है तथा बिना नोटिस दिये व श्रवण किये बिना आदेश पारित किया है वह सही नहीं है । आवेदक अधिवक्ता ने अंत में अपनी बहस में कहा है कि रिव्यु किये जाने की अवधि मात्र 90 दिनांक है अनुमति जो दो वर्ष उपरांत दी गई है वह सारहीन व अवधि बाहर थी ।	

3/ अनावेदक शासन के पैनल अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव द्वारा अपनी बहस में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश सही एवं समवर्ती आदेश है जिसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है ।

4/ अनावेदक 2- के अधिवक्ता श्री योगेन्द्रसिंह भदौरिया ने अपने तर्क में कहा है कि अनावेदिका -2 काशीबाई के पिता लोहरे राम अनपढ़ थे तथा खुमान सिंह ने बिना बताये कागजों पर अंगूठा लगवा लिया था, जिस भूमि का विक्रय किया गया है वह उनको तब पता चला जब अपने खेत में कृषि कार्य करने पहुँचे । जब बताया गया कि उपरोक्त भूमि क्रय की गई है ।

5/ उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने । तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथा अभिलेख देखने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पहुँचा हूँ कि आवेदक अधिवक्ता की इस बात में बल है कि अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी द्वारा दो वर्ष पश्चात रिव्यु प्रकरण में अनुमति दी। वह भी आवेदक को बिना सूचना दिये आदेश पारित किया है जिस पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। अतः अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 06.08.01 एवं अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी का आदेश दिनांक 30.12.97 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी शिवपुरी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी रिव्यु प्रकरण में उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात आदेश

P.T.O

पारित करें । निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पक्षकार सूचित हो । प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य